संख्या–7931 / नौ–5–2009–247सा / 08टीसी

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 04 दिसम्बर, 2009

विषयः–मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4328 / नौ–5–08–153सा / 08 दि0 02.06.08 एवं शासनादेश संख्या–5376 / नौ–5–08–153सा / 08 दिनांक 24.07.2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के कियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

(1) योजना का स्वरूप लक्ष्योन्मुखी के स्थान पर मांगोन्मुखी (मॉग के आधार पर) होगी तथा वर्तमान वर्ष (2009–10) में आवासों का निर्माण प्रदेश की नगरीय निकायों में संभावित लाभार्थियों की संख्या तथा उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा तथा उसी के अनुरूप आवश्यक वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी। सामान्यतः जनपद की अधिकतम् किन्ही 03 स्थानीय निकायों में आवासों का निर्माण (न्यूनतम 100 आवास) कार्य कराया जाय। अपरिहार्य परिस्थिति में मण्डलायुक्त के अनुमोदन के पश्चात 04 निकायों में आवासों का निर्माण कार्य कराया जा सकता है परन्तु किसी एक स्थान पर न्यूनतम सीमा 100 आवासों की रहेगी।

(2) आवासों के आवंटन के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत आवेदन पत्र को प्राप्त किये जाने हेतु विज्ञापन की अनुमति दिया जाना उचित नहीं होगा किन्तु उन क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए जहॉ लाभार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो सकते हैं। विज्ञापन / विज्ञप्ति जारी की सकती है, शेष स्थानों पर स्थानीय सर्वे के आधार पर तथा उपलब्ध गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों की सूची के आधार पर आवंटन किया जायेगा।

(3) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में प्रस्तावित आवासों के निर्माण हेतु अधिकतम सीमा प्रति भवन लागत रू0 2.25 लाख एवं आन्तरिक विकास हेतु रू0 20 हजार अर्थात कुल रू0 2.45 लाख व्यय किया जायेगा। जनपद में स्थानीय निर्माण सामग्री की प्रचलित दरों को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा किसी विश्वसनीय निर्माण एजेन्सी के सहयोग से विस्तृत आगणन तैयार कराया जायेगा, जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इसके पश्चात यदि ये दरें निर्धारित अधिकतम सीमा (रू0 2.25

लाख+20,000) से कम आंकलित की जाती है तो, उन वास्तविक दरों को अन्तिम माना जायेगा, अन्यथा उपरोक्त अधिकतम सीमा अनुमन्य/निर्धारित रहेगी। जिलाधिकारी, प्रमुख निर्माण सामग्रीयों के मूल्य के साथ–साथ श्रम की दरों का आंकलन/सत्यापन भलीभांति करायेंगे, ताकि जनपद की प्रचलित वास्तविक दरें परिलक्षित (reflect) हो सके ।

।) योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को भवन आवंटित किये जाने के संबंध में पात्रता का मापदण्ड/शर्ते निम्नवत् होगी :–

(1) वर्तमान नीति के अनुसार सर्वप्रथम विधवा तथा उसके पश्चात विकलांग श्रेणी के लाभार्थियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। इस श्रेणी के लाभार्थी के पास यदि बी0पी0एल0 कार्ड नहीं है, तो उसके लिए गरीबी रेखा से नीचे का आय–प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा परन्तु ऐसे सभी लाभार्थियों के बारे में जिलाधिकारी द्वारा आय–प्रमाण पत्र का शत–प्रतिशत सत्यापन के उपरान्त ही विचार किया जायेगा।

(2) विकलांगों को भूतल पर आवंटन में प्राथमिकता दी जाय, तत्पश्चात विधवाओं को।

(3) विकलांग लाभार्थी के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए, जिसकी विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो।

(4) अन्य श्रेणी के लाभार्थियों का चयन निम्न आधार पर किया जाय :–

(क) लाभार्थी/आवेदक के नाम अपनी कोई आवासीय भूमि न हो।

(ख) आवेदक कम से कम पिछले 5 वर्षो से संबंधित निकाय/शहरी क्षेत्र का स्थायी निवासी हो। इसके प्रमाण के रूप में मतदाता सूची, राशन कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक साक्ष्य होना अनिवार्य है तथा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला प्रत्येक परिवार इस योजना हेतु पात्र होगा। परिवार के पास बी.पी.एल. कार्ड होना अनिवार्य नहीं है, कवेल आय प्रमाण पत्र ही समुचित होगा।

(ग) ऐसे आवेदक जिनके पास अपनी कोई आवासीय भूमि नहीं है, परन्तु अन्य भूमि पर कच्चे मकान (अर्थात जिसके पास पक्की छत का मकान न हो) में निवास कर रहे हैं, तो वे पात्रता श्रेणी में आयेंगे।

(घ) बी0पी0एल0 रेखा के नीचे रहने वाले आवेदक जिन्हें मालिकाना हक योजना के अन्तर्गत उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण मालिकाना हक नहीं दिया जा सका है, ऐसे लाभार्थियों को इस योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।

(च) आवंटन में आरक्षण के प्रावधानों का अनुपालन किया जाय, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को वरीयता कम में आवंटन किया जाय।

(5) स्टाम्प डयूटी से 2 प्रतिशत की जो धनराशि नगरीय निकायों को अन्तरित की जाती है, योजनान्तर्गत उन स्थानों पर जहॉ विशेष परिस्थितियां हों, (ऊबड़–खाबड़, गड्ढे वाली भूमि के कारण निर्धारित आन्तरिक विकास की धनराशि अपर्याप्त हो) वह मण्डलायुक्त की अनुमति से अवस्थापना सुविधाओं के विकास में अतिरिक्त धनराशि उक्त मद से व्यय की जायेगी।

(6) योजनान्तर्गत वर्तमान वर्ष 2009–10 के लिए (द्वितीय चरण) आवासों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य 1.01 लाख के सापेक्ष जनपद की विभिन्न स्थानीय निकायों में उपलब्ध संभावित लाभार्थियों की संख्या एवं उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के आधार पर जिलाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित की गयी आवासों की सूचना संलग्न है। इनमें से 09 जनपदों में 12500 आवासों के सापेक्ष रू0 218.75 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है। जिलाधिकारियों द्वारा शून्य अथवा पिछले वर्ष के निर्माणाधीन आवासों की संख्या से कम आवास बनाने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है, उनसे यह अपेक्षा की जा रही है कि विशेष प्रयास कर जनपद में उपलब्ध संभावति लाभार्थियों के सापेक्ष उपयुक्त भूमि की उपलब्धता की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध करायें। इस वर्ष योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण हेतु जिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/सूचना के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में अलग से कार्यवाही की जायेगी।

(7) पिछले वर्ष के आवासों का निर्माण कार्य जैसे जैसे पूरा होते रहे, लाभार्थियों का आवास आवंटित करते हुए उन्हें समयबद्व तरीके से कब्जा दिलाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाय। विशेष सचिव, नगर विकास विभाग के पत्र संख्या–7545/नौ–5–09–247सा/2000टीसी दिनांक 27.11.2009 के द्वारा **आवास आवंटन पत्र का प्रारूप** उपलब्ध करा दिया गया है। शीघ्र ही लाभार्थियों के साथ हस्ताक्षरित किये जाने वाले पट्टा विलेख का प्रारूप भी पृथक से उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही जैसे ही आवासों के ब्लाक/पाकेट्स का निर्माण कार्य आन्तरिक विकास सहित पूरा होता रहे, जिलाधिकारी इन आवासों को डूडा तथा अन्य अधिकारियों की मदद से कार्यदायी इकाई (आवास विकास परिषद अथवा विकास प्राधिकरण) के साथ संयुक्त रूप से सत्यापन इस आशय के साथ करा लें कि निर्मित किये गये आवास निर्धारित मानकों एवं सुविधाओं के अनुरूप हैं और उसके पश्चात पूर्ण किये गये ब्लाक/पाकेट्स का हस्तानान्तरण संबंधित शहरी निकाय को हस्तगत करा दिया जाय। अन्त में जब समस्त ब्लाक/पाकेट्स का निर्माण कार्य बाह्य विकास सहित पूर्ण होगा तब पूरे परिसर को संबंधित स्थानीय निकाय को भविष्य में रखरखाव हेतु हस्तगित करा दिया जाय। उपरोक्त समस्त कार्य दिनांक 31.12.2009 तक अवश्य पूरे करा लिये जायें।

(8) कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख स्टाफ आफिसर मंत्रि मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2– प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
3– समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन ।
5– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/आवास एवं शहरी नियोजन/समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
6– आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7– समस्त उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
7– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
8– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
9– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 ।
9– निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

शासनादेश संख्या–7931/नौ–5–2009–247सा/08टीसी दिनांक 04 दिसम्बर, 2009 का संलग्नक

मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में जिलाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित जनपदवार आवासों की सूचना।

क0	मण्डल	जनपद का नाम	भूमि/लाभार्थियों की उपलब्धता के सापेक्ष निर्मित होने वाले आवासों की सं0
1	2	3	5
1	सहारनपुर	सहारनपुर	शून्य
		मुजफफरनगर	700
2	मुरादाबाद	मुरादाबाद	1500
		जे0पी0नगर	शून्य
		बिजनौर	650
		रामपुर	1500
3	बरेली	बरेली	950
		पीलीभीत	शून्य
		बदायूँ	1500
		शाहजहाँपुर	200
4	फैजाबाद	फैजाबाद	450
		सुलतानपुर	250
		बाराबंकी	300
		अम्बेडकर नगर	470
5	झाँसी	झाँसी	1500
		जालौन	1500
		ललितपुर	300
6	बस्ती	बस्ती	शून्य
		संत कबीरनगर	शून्य
		सिद्वार्थनगर	1000
7	लखनऊ	हरदोई	1500
		लखनऊ	1500
		लखीमपुर खीरी	1500
		सीतापुर	1500
		रायबरेली	1000
		उन्नाव	1500
8	कानपुर	फर्रूखाबाद	700
		कानपुरनगर	1500
		कानपुरदेहात	800
		इटावा	1500
		कन्नौज	1500
		औरैया	1200
9	इलाहाबाद	इलाहाबाद	1500
		फतेहपुर	100

		कौशाम्बी	1000
		प्रतापगढ़	650
10	अलीगढ़	अलीगढ़	1500
		फिरोजाबाद	1500
		महामायानगर	500
		कांशीरामनगर	1000
11	आगरा	मैनुपरी	300
		मथुरा	1400
		एटा	530
		आगरा	1500
12	देवीपाटन	गोण्डा	1500
		बहराईच	1500
		बलरामपुर	300
		श्रावस्ती	1000
13	वाराणसी	वाराणसी	1500
		चन्दौली	शून्य
		गाजीपुर	680
		जौनपुर	शून्य
14	मेरठ	बागपत	शून्य
		गाजियाबाद	300
		बुलन्दशहर	1000
		गौतमबुद्व नगर	शून्य
		मेरठ	शून्य
15	विन्ध्याचल	मिर्जापुर	1000
		संतरविदास नगर	500
		सोनभद्र	1500
16	चित्रकूट धाम	बांदा	1500
		चित्रकूट	1000
		हमीरपुर	1500
		महोबा	1000
17	गोरखपुर	गोरखपुर	शून्य
		कुशीनगर	शून्य
		देवरिया	शून्य
		महराजगंज	शून्य
18	आजमगढ़	आजमगढ़	250
		बलिया	700
		मऊ	500
	योगः		57180

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 130 /आठ–2–2011–01मा0का0यो0/11

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग– लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के समन्वय हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय लखनऊ पर विशेष प्रकोष्ठ गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विगत कुछ माह पूर्व मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को स्थानान्तरित हुई है, जिसके सुचारू एवं सक्रिय क्रियान्वयन/संचालन हेतु विभिन्न मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारी एवं अन्य अभिकरणों से तात्कालिक प्रकृति की विभिन्न सूचनायें एवं आख्या प्राप्त करनी होती है।

2– अतः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के प्रभावी एवं त्वरित समन्वय हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय लखनऊ में एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया जाय। उक्त प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न जनपदों/अभिकरणों से प्राप्त सूचना/आख्या का समुचित परीक्षण एवं समन्वय करते हुए समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3– उक्त के अतिरिक्त, प्रश्नगत योजना के अनुश्रवण का कार्य पूर्व की भॉति निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ द्वारा यथावत् किया जाता रहेगा।

भवदीय,

आलोक

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या– (1)/आठ–2–10 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– **समस्त मण्डलायुक्त**, उत्तर प्रदेश।

2– **समस्त जिलाधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

3– **उपाध्यक्ष,** समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

4– **निदेशक आवास बन्धु**, जनपथ मार्केट,लखनऊ को इस आशय से पृष्ठांकित कि कृपया प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/विकास प्राधिकरणों को फैक्स/ ई.मेल के माध्यम से उक्त पत्र तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
उप सचिव

संख्या–1139/आठ–2–2011–3एच0बी0(25)/11 टी.सी.

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 16 अप्रैल, 2011

विषयः **मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के कियान्वयन हेतु आवासीय परिसरों के विकास कार्यो के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेशों संख्या–4328/नौ–5–08–153सा/08 दिनांक 02.06.2008, संख्या–5376/नौ–5–08–153सा/08 दिनांक 24.07.2008, संख्या–7931/नौ–5–2009–247सा/08टीसी दिनांक 04.12.2009, संख्या–3749/नौ–5–2009–247सा/08 टीसी दिनांक 23.04.2010 तथा शासनादेश संख्या–551/आठ–2–2011–30 मा0का0यो0/11 दिनांक 26–2–2011 के माध्यम से मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के कियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा योजना के निरीक्षण में कतिपय जनपदों में स्थल–विकास कार्यो के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। उक्त क्रम में योजना के विकास कार्यो के संदर्भ में एकरूपता रखने की दृष्टि से निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :–

ट्रंक विकास कार्य

1– **एप्रोच रोड एवं ड्रेन/सीवर**

अ– नगर के मुख्य मार्ग से योजना परिसर को जोड़ने वाली एप्रोच रोड उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप बिटुमिनस रोड के रूप में लोक निर्माण विभाग के विभागीय बजट से निर्मित की जायेगी।

ब– एप्रोच रोड के दोंनो ओर वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग/उद्यान विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से किया जायेगा। जनपद स्तर पर अन्य स्रोतों से भी वृक्षारोपण हेतु धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

स– योजना परिसर से नगर के मुख्य नाले तक जोड़ने वाली ट्रंक ड्रेन का निर्माण नगर निगम/स्थानीय नगर निकाय द्वारा कवर्ड ड्रेन के रूप में किया जायेगा, जिसमें सफाई की दृष्टि से रेगुलर इन्टरवल पर ओपनिंग अथवा मेनहोल की व्यवस्था की जायेगी। इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी। प्रथम चरण के अवशेष कार्य हेतु भी बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

द– योजना परिसर के निकटवर्ती नगर के क्षेत्र में सीवर प्रणाली होने की स्थिति में परिसर से नगर के मुख्य सीवर को जोड़ने वाली ट्रंक सीवर का निर्माण उ0 प्र0 जल निगम/नगर निगम/स्थानीय नगर निकाय द्वारा किया जायेगा इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

2– वाह्य जलापूर्ति

अ– योजना के प्रत्येक पाकेट में ओवर–हैड–टैंक (आवश्यकतानुसार) नलकूप, राइजिंग मेन, पम्पिंग–प्लान्ट तथा पम्पहाउस का निर्माण उ0 प्र0 जल निगम द्वारा वाटर सप्लाई मैनुअल के अनुसार किया जायेगा जिसके लिए वास्तविक कार्य की लागत के आधार पर बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी तथा पेयजल का स्रोत समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

ब– पम्प हाउस में विद्युत संयोजन की कार्यवाही उ0 प्र0 जल निगम द्वारा अपने उपरोक्त विभागीय बजट से करायी जायेगी तथा पेय जलापूर्ति के हेडवर्क्स रख–रखाव हेतु नगर निकाय को हस्तगत की जायेगी।

3– वाह्य विद्युतीकरण

अ– योजना के प्रत्येक पाकेट में वाह्य विद्युतीकरण उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा किया जायेगा जिसके लिए वास्तविक लागत के अनुसार शासन स्तर से विद्युत वितरण प्रणाली हेतु आवंटित अपने विभागीय बजट के माध्यम से करायी जायेगी।

ब– वाह्य विद्युतीकरण के अन्तर्गत सब–स्टेशन, ट्रान्सफारमर लगाना, एल0टी0लाइन तथा भवनों में विद्युत संयोजन का कार्य सम्मिलित होगा।

स– भवनों में विद्युत संयोजन के अन्तर्गत विद्युत पोल/एल0टी0लाइन से केविल के माध्यम से भवनों के ब्लाक्स में स्टेअर केस पर मेन स्विच तक जोड़ने का कार्य सम्मिलित रहेगा।

द– मेन स्विच लगाने व मेन स्विच से प्रत्येक भवन तक विद्युतीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा भवन की निर्धारित लागत में सम्मिलित रहेगा।

आन्तरिक विकास कार्य

1– सड़क

अ– योजना परिसर में 9.00 मी0 अथवा अधिक चौड़ी सड़कों को बिटुमिनस रोड के रूप में निर्मित कराया जाय जिसमें 3.75 मी0 कैरिज–वे एवं उसके दोंनो ओर 0.23 मी0 चौड़ाई में ब्रिक वर्क के खड़न्जे की ऐजिंग सहित होगा तथा सड़क की एक पटरी पर नीम के पौधों का वृक्षारोपण कराया जाय।

ब– योजना परिसर में 6.00 मी0 व 7.50 मी0 अर्थात् 9.00 मी0 से कम चौड़ी सड़कों पर 3.00 मी0 चौड़े कैरिज–वे में बेस कंक्रीट के साथ सी0सी0रोड बनायी जाय जिसके दोंनो ओर अतिरिक्त रूप से 0.23 मी0 की चौड़ाई में ब्रिक वर्क/खड़न्जा लगाया जाय।

स– योजना परिसर में 6.00 मी0 से कम चौड़ी (3.00 मी0, 3.50 मी0, 4.50 मी0) सड़कों में बेस कंक्रीट के साथ 2.00 मी0 चौड़े कैरिज–वे में 80 मिमी0 इन्टर लाकिंग टाइल्स लगायीं जायें जिसके दोंनो ओर 0.23 मी0 की चौड़ाई में खड़न्जा लगाया जाय।

द– सड़क से ब्लाक को जोड़ने वाली एप्रोच पर भी बेस कंक्रीट के साथ 80 मिमी0 टाइल्स लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा एप्रोच की चौड़ाई में एम0एस0 ग्रेटिंग अथवा प्रीकास्ट/ कास्ट–इन–सीटू आर0सी0सी0 स्लैब से नाली को कवर किया जाय।

2– जलापूर्ति लाइन

अ– परिसर में पम्प हाउस के आउट–लैट से आन्तरिक जलापूर्ति पाइप लाइन तक फीडर लाइन का निर्माण तथा आन्तरिक जलापूर्ति लाइनों में निर्धारित मानकों के आधार पर डिजाइन के अनुसार पाइप का उपयोग किया जायेगा।

ब– प्रत्येक आवास हेतु ब्लाक्स की छत पर लगाये गये पी0वी0सी0 टैंकों को फीडर मेन से सीधे राइजर पाइप के माध्यम से जोड़ा जायेगा जिसमें से कोई संयोजन नही दिया जायेगा।

स– पी0वी0सी0 टैंक से प्रत्येक आवास के डब्लू0सी0 व बाथरूम में 15 मिमी0 जी0आई0पाइप (क्लास–बी) के एक पाइप से अलग–अलग पानी की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

द– प्रत्येक आवास में 15 मिमी0 जी0आई0पाइप (क्लास–बी) के एक पाइप से किचन में पेयजल हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड में निहित प्राविधान के अनुरूप अलग–अलग संयोजन किया जायेगा।

य– प्रत्येक आवास के लिए स्वतंत्र रूप से एक 200 ली0 क्षमता का पी0वी0सी0 टैंक रूफ टैरिस पर लगाया जायेगा। यह व्यवस्था प्रथम चरण में भी कार्यदायी संस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

3– सीवर लाइन

अ– नगर में सीवर प्रणाली होने की स्थिति में परिसर में आन्तरिक सीवर बिछाने का कार्य निर्धारित मानकों के आधार पर डिजाइन के अनुसार सम्पादित कराया जायेगा।

ब– नगर में सीवर प्रणाली न होने की स्थिति में परिसर में सैप्टिक टैंक व सोकपिट अथवा डाइजेस्टर का कार्य निर्धारित डिजाइन के अनुसार सम्पादित कराया जायेगा।

4– पार्क एवं आरबोरीकल्चर

अ– योजना परिसर में पार्को का निर्माण भूतल से 90 सेमी0 ऊॅची चहारदीवारी के साथ किया जायेगा।

ब– पार्क के अन्दर वृक्षारोपण किया जायेगा तथा नीम के पौधों को लगाने को प्रमुखता दी जायेगी। पार्क की साइज छोटी होने पर प्रत्येक कोने पर एक–एक नीम का पौधा अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।

स– 6.00 मी0 से अधिक चौड़ी सड़कों पर भी एक पटरी पर फिजिबिल्टी के अनुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।

5– ड्रेनेज

अ– योजना परिसर में नालियों का निर्माण डिजाइन के अनुसार किया जायेगा। सफाई के लिए व्यवस्था करते हुए नालियों को कवर किया जायेगा।

ब– नाली की साईज 45X45 सेमी0 से अधिक होने पर नाली को आर0सी0सी0 स्लैब से कवर किया जायेगा।

6– बलाक्स के चारों ओर का विकास

योजना परिसर में भवनों के ब्लाक्स के मध्य एवं चारों ओर उपलब्ध रिक्त भूमि के विकास करने के लिए सेवाओं के रख–रखाव, सफाई व मरम्मत की सुविधा के दृष्टि से सैण्ड बेस व सैण्ड फिलिंग के साथ 60 मिमी0 इन्टर–लाकिंग टाइल्स लगायी जायेगी।

7– सार्वजनिक वितरण प्रणाली व रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने के लिए दुकानें

अ– जिन पाकेटों में एक ही पाकेट में 1000 से अधिक भवनों को नियोजित किया गया है उनमें कम से कम दो स्थानों पर तीन–तीन दुकानों का प्राविधान रखा जायगा। दुकानों के क्लस्टर के लिए स्थल चयन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा सकेगा।

ब– जिन जनपदों में एक से अधिक पाकेटों में भवन नियोजित हैं, उनमें जिस पाकेट में 300 से अधिक भवन नियोजित हैं, उस पाकेट में एक स्थान पर तीन दुकानों का प्राविधान रखा जाय।

स– जिन जनपदों में एक से अधिक पाकेटें हैं तथा प्रत्येक पाकेट में 300 से कम भवन हैं, ऐसी स्थिति में आसपास के पाकेटों को समायोजित मानते हुए भूमि की उपलब्धता के सापेक्ष प्रत्येक 300 भवनों पर किसी एक पाकेट में तीन दुकानों का प्राविधान रखा जाय।

द– उक्त तीन दुकानों में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान का कुर्सी क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर तथा ऊँचाई 3.60 मी0 रखी जायेगी। उचित दर के अलावा अन्य दो दुकानों का कुर्सी क्षेत्रफल जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

य– उक्त तीन दुकानों के एक कलस्टर की कुल निर्माण लागत रु0 7.00 लाख के अन्तर्गत रखी जायेगी जिनके निर्माण हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था समायोजित कर प्रति आवास निर्माण लागत में पुनरीक्षित की जायेगी।

र– दुकानों का आवंटन पारदर्शी तरीके से जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। निर्धारित किराये के साथ प्रीमियम भी चार्ज किया जायेगा और इसी प्रीमियम के आधार पर आवंटियों का चयन किया जायेगा। किराये तथा प्रीमियम की धनराशि योजना परिसर के रख रखाव हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण में जमा करायी जायेगी।

8– प्राथमिक विद्यालय, ऑगनबाडी एवं स्वास्थ्य केन्द्र

अ– योजना के प्रत्येक परिसर हेतु निर्धारित विभागीय मानकों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ सेवा केन्द्र एवं ऑगनबाडी केन्द्र की व्यवस्था की जायेगी।

ब– प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण छात्रों की संख्या के दृष्टिगत समुचित व्यवस्था करते हुए किया जायेगा और भूमि की उपलब्धता को देखते हुए विद्यालय के भवन दो मंजिले भी बनाये जा सकेगें। विद्यालय भवन की मानक डिजाइन मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा निर्धारित की जायेगी।

स– आवासीय परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समुचित स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी। इस सम्बन्ध में यथासम्भव मानक के अनुसार स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करवा कर समुचित स्वास्थ्य सेवायें यथा– जन्म–मृत्यु पंजीकरण, अन्धता निवारण, टीकाकरण विशेषकर पोलियों एवं मातृ–शिशु कल्याण आदि उपलब्ध करायी जायेंगी।

द– उक्त सुविधाओं हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था सम्बन्धित विभागों के विभागीय बजट से सुनिश्चित की जायेगी।

9– कलर स्कीम एवं साइनेज बोर्ड:

योजनान्तर्गत निर्मित भवनों की कलर स्कीम एवं परिसरों के मुख्य गेट पर योजना का साइनेज बोर्ड लगाने की कार्यवाही शासनादेश संख्या–551/आठ–2–2011–30 मा.का.यो./11 दिनांक 26.02.2011 में दिये गये निर्देशानुसार सुनिश्चित करायी जायेगी।

10– बाउण्ड्रीवाल का निर्माण

परिसर की भूमि व निवासियों की सुरक्षा हेतु यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक समझा जाये तो परिसर की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण भी यथासम्भव मितव्ययिता के साथ कराया जायेगा, जिसके लिए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा स्टैण्डर्ड डिजायन तैयार करके जारी किया जायेगा।

11– योजना परिसर का रख–रखाव

अ– नगर सीमा के अन्तर्गत अथवा नगर सीमा से बाहर स्थित योजना के परिसरों का रख–रखाव (अनुरक्षण) सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा।

ब– योजना के अन्तर्गत ट्रंक विकास कार्य, आन्तरिक विकास कार्य व भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर तत्काल सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रख–रखाव हेतु परिसरों की सेवायें सम्बन्धित स्थानीय निकायों को हस्तगत करायी जायेंगी।

स– परिसर के रखरखाव के सम्बन्ध में संबंधित स्थानीय निकाय का उत्तर दायित्व सड़क, सीवर, नालियों तथा पार्कों के रख–रखाव व साफ–सफाई का ही होगा। जलापूर्ति प्रणाली के रख–रखाव का दायित्व स्थानीय निकाय का अथवा जल संस्थान होने की दशा में जल

संस्थान का होगा। आवासों के रख–रखाव तथा ब्लाकों में कामन फैसलिटीज का दायित्व निवासियों का रहेगा और इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा निवासियों का समूह गठित करने के लिए कार्यवाही की जायेगी।

12– **योजना के प्रथम चरण में आन्तरिक विकास के अतिरिक्त कार्य**

आन्तरिक विकास के लिए उपरोक्तानुसार दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रथम चरण के परिसरों में अतिरिक्त कार्यों के लिए वित्तीय आवश्यकता को प्रति आवास लागत में ही सम्मिलित किया जायेगा और इस दृष्टि से प्रथम चरण की प्रति आवास लागत का आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण कराया जायेगा। पुनरीक्षित लागत में दिशा–निर्देश 7 (य) के अनुसार छोटी दुकानें बनाने का कार्य भी बजट की दृष्टि से प्रति आवास लागत में ही सम्मिलित किया जायेगा। द्वितीय व तृतीय चरण के अन्तर्गत योजना परिसर में छोटी दुकानों के अतिरिक्त सभी आन्तरिक विकास कार्यो को कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रति आवास निर्धारित लागत के अन्तर्गत सम्पादित कराया जायेगा।

13– **अवस्थाना सुविधाओं** की लागत को सीमित रखने के लिए भविष्य में आवासीय परिसरों का ले–आउट इस प्रकार बनाया जाये, ताकि ब्लाकों के मध्य दूरी अधिक न हो और पार्कों इत्यादि की और समुचित व्यवस्था नियोजित की जायेगी।

भवदीय,

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि–मंडलीय सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2– सभी प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0 प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन,न्याय,सूचना, लोक निर्माण, ऊर्जा, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, नगर विकास, आवास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, खाद्य, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास, अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
5– समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 लखनऊ।
9– समस्त नगर आयुक्त एवं नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
10– विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्य मंत्री जी (श्री जमील अख्तर)
11– समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13– समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
14– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)।

संख्या–1654 /आठ–2–11–247सा0/08 टी.सी.–I

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन भवनों के आवंटन में सामाजिक वर्गों को आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले निर्धन व्यक्तियों की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना का कियावन्यन वित्तीय वर्ष 2008–09 से किया जा रहा है। शासनादेश संख्या–5376/9–5–08–153सा0/08 दिनांक 24–7–2008 में निर्गत दिशा–निर्देशों में योजनान्तर्गत निर्मित आवासों के आवंटन में निराश्रित विधवाओं, निराश्रित विकलॉगों एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी गरीब नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था के साथ–साथ 23 प्रतिशत भवन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों को, 27 प्रतिशत भवन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तथा शेष 50 प्रतिशत भवन सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गयी है।

2– शासनादेश सं0–7931/9–5–09–247सा0/08 टी.सी. दि0 04–12–2009 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के लाभार्थियों को वरीयता कम में आवास आवंटन की व्यवस्था की गयी। निर्मित आवास रिक्त न रहें इस दृष्टि से शासनादेश संख्या–7869/9–5–08– 247सा0/09 टी.सी. दिनांक 24–12–2009 में

अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 21 प्रतिशत आवास आवंटित किये जाने के पश्चात् अन्य पिछडे वर्गों एवं सामान्य वर्ग को आवासों को आवंटन में निर्धारित आरक्षण की व्यवस्था को आवश्यकतानुसार शिथिल करने के आदेश जारी किये गये थे। योजना के तृतीय चरण हेतु निर्गत नीति विषयक शासनादेश संख्या–972/आठ–2–11–247सा0/08 टी.सी–1 दिनांक 9–04–2011 द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में पूर्व निर्धारित व्यवस्था को यथावत् रखा गया है।

3– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेशों में आवास आवंटन के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

(1) मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के प्रथम चरण में निर्मित भवनों के सापेक्ष आवंटन हेतु अवशेष आवासों का आवंटन अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को किया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय चरण में निर्माणाधीन/निर्मित होने वाले आवासों के आवंटन में पूर्व में निर्धारित पात्रता के अनुसार 50 प्रतिशत भवन अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होगें। शेष 50 प्रतिशत भवन अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को वरीयता कम में आवंटित किये जायेगें।

(3) यदि किसी नगर निकाय में अनुसूचित जाति, जनजाति के 50 प्रतिशत लाभार्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो समीपवर्ती एवं शहरी निकायों के अनुसूचित जाति, जनजाति के लाभार्थियों को इस शर्त के साथ आवास आवंटित किये जायेंगे कि लाभार्थी उस आवास में स्वंय निवास करेगा। ऐसा न होने की दशा में 15 दिन की नोटिस देते हुए उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। समीपवर्ती शहरी निकाय के लाभार्थी को आवास आवंटन का अधिकार मण्डलायुक्त को होगा। इस हेतु जिलाधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि वे व्यक्तिगत रूप से सन्तुष्ट हैं कि उक्त नगर निकाय में अनुसूचित जाति, जनजाति के लाभार्थी आवंटन हेतु शेष नहीं बचे हैं।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन भवनों के आवंटन में उक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित सीमा तक उक्त सन्दर्भित शासनादेशों को संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय,

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या 1654 (1)/ आठ–2–11,तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर मंत्रिमण्डलीय सचिव,उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, वित्त/समाज कल्याण/नगर विकास/नियोजन/न्याय/सूचना, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा, जिला–गौतमबुद्व नगर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभीकरण(सूडा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ
9. निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।
10. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
11. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय (श्री जमील अख्तर)
12. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव

संख्या– 2219/आठ–2–11–87 मा0का0यो0/11.

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
3– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा, उ0प्र0।
4– समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 8 अगस्त 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन भवनों के ब्लाकों में कामन फैसिलिटीज के अनुरक्षण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–5376/9–5–2008–152सा/08 दिनांक 24–7–2008, शासनादेश संख्या–972/आठ–2–11–247सा0/09 दिनांक 09–4–2011 तथा शासनादेश संख्या–1139/आठ–2–11–3एच0 बी0 (25)/11 टी.सी. दिनांक 16–4–2011 में आवासों की आन्तरिक विकास सुविधायें यथा–सड़क, पेयजल, मार्ग प्रकाश, साफ–सफाई आदि का रख–रखाव संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16–4–2011 में आवासों के रख–रखाव तथा ब्लाकों में कामन फैसिलिटीज के रख–रखाव का दायित्व आवंटी निवासियों का निर्धारित है शासनादेश दिनांक 9–4–2011 में योजना के अन्तर्गत समस्त चरणों में निर्मित भवनों/ब्लाकों के आन्तरिक रख–रखाव हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) स्थानीय आवंटियों की एक ब्लाकवार अनुरक्षण समिति गठित कराने की कार्यवाही करने के निर्देश परिचालित किये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेशों के अनुक्रम में योजनान्तर्गत समस्त चरणों में निर्मित भवनों/ब्लाकों में कामन फैसिलिटीज के अनुरक्षण के लिए निम्नवत् दिशा–निर्देश (संशोधित) निर्धारित किये जाते है :–

(1) योजनान्तर्गत निर्मित भवनों/परिसरों में आन्तरिक सुविधाओं का रख–रखाव (सड़क, स्ट्रीट लाईट, पेयजल, सफाई आदि) के साथ–साथ संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा आवासीय ब्लाकों में कामन एरियाज (जीने, ममटी व छत) की सफाई अथवा रख–रखाव भी किया जायेगा। जलापूर्ति प्रणाली आदि के अनुरक्षण का कार्य नगर निगम/जल संस्थान/जल निगम/ स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(2) भवनों/ब्लाकों में कामन फैसिलिटीज यथा–जीने में प्रकाश की व्यवस्था, मकानों के डाउन वाटर पाइप आदि के समुचित रख–रखाव हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा स्थानीय आवंटियों की ब्लाकवार/परिसरवार

आवश्यकतानुसार रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशन (आर.डब्लू.ए.) जो ब्लाक/परिसर बड़ा होने की स्थिति में एक अधिक भी हो सकेंगी, गठित की जा सकेंगी।

(3) योजनान्तर्गत निर्मित भवनों का रख–रखाव लाभार्थी आवंटियों द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा।

3– योजनान्तर्गत आवासों तथा आवासीय परिसरों में विकास कार्यों के लिए भविष्य में ठेकेदारों से निष्पादित किये जाने वाले सभी अनुबन्धों में अनिवार्य रूप से लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि से डिफेक्ट रिमूवल पीरियड की अवधि 12 माह रखी जाय और इस अवधि में कार्यों में होने वाली कमियों/डिफेक्ट को ठीक करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार पर निर्धारित किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त सीमा तक इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों को संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 2219 (1) /आठ–2–2011, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नगर विकास/समाज कल्याण/सिचाई/लोक निर्माण/नियोजन/कार्यक्रम कार्यान्वयन/सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
6– निदेशक, राज्य विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ।
7– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
8– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।
9– प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0, लखनऊ।
10– मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यंत्री कार्यालय (श्री जमील अख्तर)
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मंजु चन्द्र)
विशेष सचिव

संख्या– 2230/आठ–2–11–247सा0/08 टी.सी.–1

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन भवनों के आवंटन की प्रकिया के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1654/आठ–2–2011–247सा0/08 टी.सी.–1, दिनांक 10–6–2011 द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजनान्तर्गत निर्मित भवनों के आवंटन में आरक्षण व्यवस्था निर्धारित की गयी है। उक्त आरक्षण व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवनों के आवंटन में निम्नवत् प्रकिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायः–

(1) मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न चरणों में निर्मित भवनों के आवंटन में निराश्रित विधवा/निराश्रित विकलांग/गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को वरीयता के कम में आवास आवंटित किये जायेंगे। आवास आवंटन में उक्त पात्रता के लाभार्थियों को अपने वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की सीमा में ही वरीयता प्रदान की जायेगी।

(2) शासनादेशसं0–1654/आठ–2–2011–247सा/08टी.सी.–1 दिनांक 10–6–11 के कम में स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम चरण के आवंटन हेतु अवशेष भवनों को अनुसूचित जाति के लाभार्थियो कों तथा द्वितीय एवं तृतीय चरण के भवनों में 50 प्रतिशत भवन अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को तथा 27 प्रतिशत भवन अन्य पिछडा वर्ग के पात्र लाभार्थियों को आवंटित किये जायेंगे।

(3) यदि संबंधित नगर निगम क्षेत्र/ नगर पालिका क्षेत्र/ नगर पंचायत क्षेत्र में निर्मित भवनों से अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग व सामान्य वर्ग के पात्र लाभार्थियों की संख्या अधिक हो तोअलग–अलग श्रेणी के पात्र लाभार्थियों की सूची बनाकर लाटरी के माध्यम से आवासों का आवंटन निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार किया जायेगा।

(4) यदि किसी निकाय में किसी श्रेणी के पात्र लाभार्थी अपनी श्रेणी के भवनों की संख्या से कम हों, तो प्रथमतः सम्बन्धित निकाय के पात्र लाभार्थियों को आरक्षण के अनुसार भवन आवंटित किये जायेंगे। तदोपरान्त अवशेष भवनों के आवंटन हेतु समीपवर्ती निकायों के उक्त तीनों श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को उनकी संख्या अधिक होने की दशा में लाटरी के माध्यम से आवास आवंटित किये जायेंगे।

2– अतः मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन भवनों के आवंटन की प्रक्रिया से संबंधित पूर्व में निर्गत शासनादेशों तथा शासनादेश संख्या–1654/आठ–2–2011–247सा0/08 टी.सी.–1, दिनांक 10–6–2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय,

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या 2230 (1)/ आठ–2–11,तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर मंत्रिमण्डलीय सचिव,उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, वित्त/समाज कल्याण/नगर विकास/नियोजन/न्याय/सूचना, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा, जिला–गौतमबुद्ध नगर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभीकरण(सूडा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ
9. निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।
10. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय (श्री जमील अख्तर)
11. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव

सं 3188/का.अ. /11
27/9/11

प्राथमिकता

संख्या– 2574 / आठ–2–11–17मा.का.यो. / 11.

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ:: दिनांक 27, सितम्बर, 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासीय परिसरों में आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के कार्यों के मानकीकरण से संबंधित शासनादेश संख्या–1139 / आठ–2–2011–3एच0बी0(25)11 टी.सी0 दिनांक 16–4–2011 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–8(अ) में उल्लेख है कि योजना के प्रत्येक परिसर में निर्धारित विभागीय मानक के अनुसार आगंनवाड़ी केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में आंगनवाडी केन्द्रों की स्थापना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की जाती है। अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के परिसर में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना हेतु सुसंगत प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(आलोक कुमार)
सचिव

संख्या– 2574 (1) / आठ–2–2011, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रमुख सचिव / सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को शासनादेश दिनांक 16–4–2011 की प्रति सहित।

2– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

3– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

4– निदेशक, आवास बन्धु को सूचनार्थ एवं इस आशय से कि कृपया इस पत्र को **फैक्स / ई–मेल** से समस्त **जिलाधिकारियों / उपाध्यक्ष**, समस्त विकास प्राधिकरण को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव

792 सा0 वि0

संख्या–~~2743~~/आठ–2–2011–247सा0/08 टी.सी.

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 **लखनऊ:: दिनांक** 09 **नवम्बर, 2011**

विषय– मा0 श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के लाभार्थियों से लिये जाने वाले सांकेतिक किराये की धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में कतिपय जनपदों द्वारा शासन से यह अवगत कराने की अपेक्षा की गयी थी कि शासन द्वारा निर्धारित की गयी गाइड लाइन्स के अनुसार योजना के लाभार्थियों से लिये जाने वाले रू0 100/– के सांकेतिक वार्षिक किराये की धनराशि को किस लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त योजना के लाभार्थियों से वार्षिक आधार पर ली जाने वाली सांकेतिक किराये की धनराशि को जमा करने के लिए वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–2920/दस–2011–12(2)/2011 दिनांक 27–9–2011 द्वारा निम्नवत् नया लेखा शीर्षक खोला गया है :–

लेखा शीर्षक "0216–आवास"
"02 शहरी आवास–
800– अन्य प्राप्तियाँ–
01– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्तियाँ"

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के लाभार्थियों से सांकेतिक किराये के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि उक्त लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या– 792 सा0 वि0 **(1)/आठ–2–11– तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट लखनऊ।
5– निदेशक, राज्य नगरीय अभिकरण एवं गरीबी उन्मूलन, (सूडा) नव चेतना भवन, लखनऊ।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव

संख्या–1088/आठ–2–2012–247सा0/08टी0सी0–1

प्रेषक,

शम्भू नाथ शुक्ल
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 28 मई, 2012

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने के लिए शासनादेश संख्या–4328/9–5–08–153सा0/08 दिनांक 02, जून, 2008, द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना आरम्भ की गयी थी। योजना की विस्तृत गाइड लाइन्स शासनादेश संख्या–5376/9–5–08–153सा/08 दिनांक 24 जुलाई, 2008, शासनादेश संख्या–7931/9–5–09–247सा0/08 टी.सी. दिनांक 04 दिसम्बर, 2009 शासनादेश संख्या–972/आठ–2–11–247सा/08 टी.सी. दिनांक 9–4–2011 तथा शासनादेश संख्या–1139/आठ–2–11–3एच0 बी0(25)/11 दिनांक 16–4–2011 द्वारा निर्गत की गयी थी। योजना के प्रथम चरण के आवासीय परिसरों के अतिरिक्त आन्तरिक विकास कार्यों एवं द्वितीय चरण के भवनों के निर्माण तथा पेय जलापूर्ति के लिए अवर जलाशय के निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु आवश्यकता की समस्त धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

2– योजना के तृतीय चरण में 41992 भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। परन्तु कतिपय जनपदों में निःशुल्क उपयुक्त भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण 13728 भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

3– चूँकि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित बी.एस.यू.पी. एवं आई.एच.एस. डी.पी. आवासीय योजनायें संचालित की जा रही है, जो इस योजना के समानान्तर हैं, जिसके दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त योजना के तृतीय चरण में निर्माणाधीन भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में निम्नवत् शर्तों के अधीन

योजना को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) योजना के तृतीय चरण में केवल उन्हीं 26597 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा, जिनकी भौतिक प्रगति प्लिन्थ लेबिल से ऊपर है। इन भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त योजना को समाप्त किया जाता है।

(2) योजना के तृतीय चरण में प्लिन्थ लेबिल से नीचे भौतिक प्रगति वाले 1667 भवनों का निर्माण नही किया जायेगा तथा कार्य अनारम्भ 13728 भवनों का निर्माण कार्य अब प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(शम्भू नाथ शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1088(1)/आठ–2–2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3– **प्रमुख सचिव/सचिव**, लोक निर्माण/ऊर्जा/बेसिक शिक्षा/समाज कल्याण/नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/खाद्य एवं रसद/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन/महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/सूचना विभाग,उ0प्र0शासन।
5– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ।
7– मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 लखनऊ ।
8– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट लखनऊ।
9– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
10– आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
11– गोपन अनुभाग–1
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 1360 /आठ–2–13–3एच0बी0(103)/13

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 26 नवम्बर, 2013**

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन भवनों के आवंटन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1654/आठ–2–2011–247सा0/08टी.सी.–1,दिनांक 10–6–2011, शासनादेश संख्या–2230/आठ–2–2011–247सा0/08टी.सी.–1, दिनांक 09–8–2011, द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजनान्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन भवनों के आवंटन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये है।

2– उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में पूर्व में प्रसारित दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची बनाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी को सौंपा गया है। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उक्तानुसार समय–समय पर प्रसारित दिशा–निर्देशों के अनुसार मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजनान्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन भवनों का आवंटन वास्तविक रूप से पात्र व्यक्तियों को प्राप्त हो। फिर भी यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा नियम विरूद्व अपात्र व्यक्तियों को भवन का आवंटन कराया गया है तो संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए दण्डित करना सुनिश्चित किया जाय।

3– कृपया इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

21/11/13
(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव।

K.R.Yojana-1HCL(50)G.O

संख्या 1360 (1)/आठ–2–13,तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, वित्त/समाज कल्याण/नगर विकास/नियोजन/न्याय, उ0प्र0 शासन।
3–. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा, जिला–गौतमबुद्धनगर।
4– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण(सूडा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6–. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
7–. निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।
8–. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एन0यादव)
अनु सचिव।